

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com
पत्रांक 3165/18सी. दिनांक, रानीखेत, 29-12-2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- शहीद राजेश अधिकारी विनायक-ढुंगा मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं. 8859/2015)

संदर्भ :- आपका पत्रांक मैमो/12-1(2) दिनांक 5.12.2016

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आन लाईन द्वारा आपत्तियों में लौटाया गया था। जिसकी आख्या विन्दुवार निम्नवत है:-

1	Employment details provided in online in Part-I	Employment detail corrected in online in Part-I
2	Van panchayat forest in still not made in online Part-II	
3	The KML file of area proposed for CA is not provided in online Part-I & II	The KML file provide in online part-I
4	The hard copy of the proposal in roiginal containing original copy of revised document and part-I,II,III,IV and V	The hard copy submitted in Nodel office Deharadun & Part-I form is attached.


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद अल्मोड़ा में शहीद राजेश अधिकारी विनायक ढुंगा मोटर मार्ग का निर्माण			
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।			
ग) परियोजना की लागत।	41.70 लाख			
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा हेतु।			
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है। लागत नष्ट है,			
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा			
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	राज्य वन भूमि हे.	वन पंचायत भूमि हे.	आरक्षित वन भूमि हे.	कुल भूमि हे. में
	0.558 0.434	1.260 0.90	—	1.818 1.414
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	कोई नहीं।			
क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं।			
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं।			
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं।			

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक 11-1-2013

स्थान- रानीखेत


अमीन
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत


नाम- मनोज कुमार बिष्ट
अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)